

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 मई 2011—वैशाख 26, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 2998-186-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 मई, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०११.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०११

[ दिनांक ११ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )", में दिनांक १६ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई ]

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०११ है.
२. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ ( क्रमांक १२ सन् १९६३ ) की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम.

धारा ७-क का अंतःस्थापन.

“७-क. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण देने के लिए कोई महाविद्यालय स्थापित करने की वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महाविद्यालय स्थापित करने और प्रशासित करने अथवा चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, विस्तृत जानकारी देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा.

नये महाविद्यालय स्थापित करने और उन्हें सम्बद्ध करने के लिए अनुज्ञा का अपेक्षित होना.

- (२) आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञा प्रदान करेगा.
- (३) अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात्, प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगा और ऐसे महाविद्यालय को अधिनियम के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे. ”.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 2999-186-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2011.

THE JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM 2011

[Received the assent of the Governor on the 11th May, 2011; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 16th May 2011.]

**An Act Further to amend the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Act, 1963.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic of India as follows:—

**Short title.** 1. This Act may be called the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya ( Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

**Insertion of Section 7-A.** 2. After Section 7 of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Act, 1963 (No. 12 of 1963), the following Section shall be inserted, namely:—

**New colleges to require permission for establishment and affiliation.** “ 7-A.(1) Every person desired of establishing any college for instructions teaching and training in Agriculture and allied Sciences within the jurisdiction of the University shall make an application containing detail information to the State Government or such authority as the State Government may, by order, specify, for grant of permission to establish and administer or run such college.

(2) On receipt of application, the State Government or the authority specified by it, shall, after making such enquiry as it may deem fit, grant permission subject to such terms and conditions, if any, as it may deem fit to impose.

(3) Every college established after obtaining permission shall be affiliated to the university and such college shall be admitted to the privileges of the University under the provisions of the Act.”.